128

समक्ष : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म0प्र0)

प्रकरण क /2014 निगरानी R. 2875-II/14

श्री पी. के० तिवारी एड. द्वारा आज दि 2-9-14 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 2-9-14 3.50 P.M

1. रामाधार तनय लल्ला गडेरी , सा0 कोयलखूँथ
2. मु0 शिवमंगली बेवा रामचरित्र पाल, सा0 कोयलखूँथ
3. सीता कुमारी पुत्री रामचरित्र पत्नी देवधारी पाल , सा0 बसोडा
4. ईश्वर कुमारी पुत्री रामचरित्र पत्नी छोटेलाल पाल , सा0 पिडरताली चारो तहसील व जिला सिगरोली म.प्र. ।
5. बिफनी देवी पुत्री स्व0रामचरित्र पत्नी मोतीलाल पाल, सा0 सपहा, थाना बिहारपूर, तह0 सूरजपुर , जिला सरगुजा छ.ग. ।
6. हीरामती पुत्री रामचरित्र पत्नी भगवानदास पाल , सा0 धिरौली
7. फूलमती पुत्री रामचरित्र पत्नी रामभजन पाल, सा0 पिडरताली
8. मुन्नी पुत्री रामचरित्र पत्नी शिव प्रसाद पाल, सा0 केयलखूँथ
9. कामता पसाद तनय स्व0 रामचरित्र पाल, सा0 कोयलखूँथ
10. गूड्डी पुत्री रामचरित्र पत्नी पप्पू पाल, सा0 सुलियारी पांचो पेशा खेती , तहसील व जिला सिंगरोली म0प्र0 ।

.... /निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

रामचरित्र तनय लल्लन गडेरी निवासी कोयलखूथ , तहसील व जिला सिंगरोली म0प्र0

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध कलेक्टर जिला सिंगरोली के प्र0क0 26/निगरानी/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 24.7.2014 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत ।

श्रीमान जी,

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्नानुसार है। :–

प्रकरण के तथ्य –:

1. यहकि, निगरानी कर्ता क 1 द्वारा निगरानीकर्ता क 2 के पति एंव निगरानीकर्ता क 3 लगायत 10 के पिता द्वारा भूमि स्वामी की हैसियत से धारिक सर्वे क 961 कुल रकवा 0.58हे0 मे से 0.29हे0 भूमि रजिस्टर्ड विकय पत्र द्वारा कृय की गई थी जिसके आधार पर ग्राम पंचायत क्षेत्र क. कोयलाखूँथ के प्रत्याव क 3 मे पारित नामांतरण आदेश दिनांक 15.8.04 को गैर निगरानीकर्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी वैडन, जिला सीधी के समक्ष चुनोती दी गई जिस पर अनुविभागीय अधिकारी वैडव द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से आदेश दिनांक 18.7.2011 प्र0क0 576 अपील 2005–06 के द्वारा नामातरण आदेश दिनांक 15.8.04 को निरस्त करते हुये पुनः बोलता हुआ आदेश पारित करने वावत प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया, जिसको निगरानीकर्ता द्वारा उक्त आदेश का कलेक्टर जिला सिंगरोली के समक्ष निगरानी में चुनोती दी गई जो कि प्र0क0 140/2010–11 निगरानी दर्ज कर प्रकरण ग्रहता के विन्दु पर आदेश दिनांक 30.9.2011 के द्वारा निरस्त किया गया । जिसको अपर आयुक्त रीवा संभाग के समक्ष प्र.क. 90–निगरानी/2011–12 में चुनोती दी एंव आदेश दिनांक 29.12.2012 के द्वारा कलेक्टर महोदय सिंगरोली द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.9.11, प्र0क0 140/2010–11 को निरस्त किया तत्पश्चात कलेक्टर महोदय द्वारा नये सिरे से प्र0क0 26/निगरानी/2012–13 दर्ज कर प्रकरण को पुनः उपखण्ड अधिकारी

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—निगरानी —2875—दो / 2014 जिला— सिंगरौली

रामाधर आदि विरूद्ध रामचरित्र

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18/02/19	आवेदक की ओर से श्री पी.के. तिवारी अभिभाषक उपस्थित । आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला—सिंगरौली के प्र. क्र. 26 / निगरानी / 2012—2013 में पारित आदेश दिनांक 24—07—2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25—9—2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2 / पक्षकार दिनांक 15—4—2019 को आयुक्त रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर.के. जैन) 18/2/2019 सदस्य	